M 43

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 29/01/2015 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के कक्ष में सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु Facilitator के साथ हुई बैठक की कार्यवाही:-

- **उपस्थिति-पंजी के अनुसार**

1. सर्वप्रथम सचिव महोदय द्वारा सामाजिक वानिकी हेतु चयनित सभी **Facilitators** का स्वागत किया गया ।

2. नदी के किनारे अथवा जिन जिलों से नदी का प्रवाह है उन जिलों में विशेष रूप से बांस पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया । बैठक में 28 जिलों यथा अररिया, अरवल, औरगांबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली में विशेष रूप से बांस पौधा रोपण हेतु निर्णय लिया गया ।

3. बांस पौधारोपण मार्च में ही करने का निदेश दिया गया ताकि जुलाई तक वृक्ष 5-6 फीट का हो जाए एवं बाढ़/बारिश के कारण यदि एक महिना (Month) डुबा भी रहे तो भी पौधे का नुकसान नहीं हो इस संबंध में सूर्यग्रढ़ा, लखीसराय जिला में लगे वृक्षारोपण को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया एवं उसे देखने हेतु सलाह दी गयी ।

4. मजदूरी के आकलन हेतु बांस पौधारोपण के अंतर्गत पांच पौधा को एक पौधा माना गया एवं इस तरह के एक गड्ढ़े के लिए सात रूपया निधार्रित किया गया । एक Pits से दूसरे Pits की दूरी 3 मीटर निर्धारित किया गया । विदित हो कि मुख्य सचिव द्वारा बाढ़ के समय मृदा संरक्षण एवं नदी किनारे कटाव को रोकने हेतु बांस पौधारोपण लगाने का निदेश दिया दिए गया है ।

5. **Facilitator** द्वारा किए जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं निदेश दिया गया कि सभी अपने संबंधित जिलों के लिए कार्ययोजना बनाऐं एवं SOP के तहत दिए गये दिशा निदेश का अनुपालन करें ।

6. PMGSY के सड़क के किनारे अर्जुन नीम, करंज, जामुन, शीशम, टीक इत्यादि का वृक्षारोपण करने पर बल दिया गया ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ छाया की भी व्यवस्था हो सके ।

7. दक्षिण बिहार में अनार पौधारोपण भी किया जाये ।

8. **सामाजिक वानिकी के तहत पौधारोपण का अनुश्रवण हेतु निम्न निदेश दिया गया :-** 1442

(क) सभी जिलों में जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त द्वारा एक **PMU** की स्थापना सामाजिक वानिकी के लिए की जायेगी । जिलों में मनरेगा के कार्यपालक अभियन्ता इसके प्रभार में रहेंगे एवं एक **PO** एवं **APO** इस **PMU** के सदस्य होंगे ।

(ख) **Facilitator** द्वारा जिले के **PMU** के सहयोग से जिला वन पदाधिकारी से मिलकर सरकारी नर्सरी में उपलब्ध पौधों की संख्या एवं प्रजाति की जानकारी प्राप्त की जायेगी ।

(ग) सभी **Facilitator** को Saas Application का विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा । **Facilitator** द्वारा Unit Wise पौधारोपण को Saas Application पर विहित Format में Upload करने का निदेश एवं इसके लिए Android Phone जिस पर Saas Application कार्य कर सके, लेने का निदेश दिया गया ।

(घ) Saas Application पर Grievance Redressal हेतु भी आवश्यक व्यवस्था करने का निदेश दिया गया ताकि अगर किसी प्रकार की असहयोग/समस्या कर्मियों के द्वारा किये जाने पर, उसका त्वरित समाधान किया जा सके ।

(ङ) प्रपत्र पर PRS/PTA का हस्ताक्षर भी रहेगा । मनरेगा कर्मियों जैसे AE/JE/PTA एवं PRS द्वारा सम्पादित कार्यो से उनके Payment को लिंक किया जायेगा ।

(च) Facilitator द्वारा पाक्षिक प्रतिवेदन (PRS /PTA द्वारा हस्ताक्षरित) PMU को समर्पित किया जायेगा उक्त प्रतिवेदन की तीन कॉपी, DDC, PO एवं Office कॉपी होगी। DDC द्वारा अधिकतम एक सप्ताह के अंदर प्रपत्र को Countersign कर जिला स्तरीय PMU को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(छ) सभी Facilitator को लखीसराय एवं जमूई जिलें में पौधारोपण कार्य का स्थल निरीक्षण एवं उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु भ्रमण कराने का निदेश दिया गया ।

विश्वासभाजन

(एस.एम. राजू)
सचिव, 10/2/15

ज्ञापांक 220017 / दिनांक 10/2/15

प्रतिलिपि- सभी जिला अधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

10/2/15

10/2/15